



# केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की संशोधित दरों की घोषणा की है ताकि उन्हें बाजार दर के करीब लाया जा सके।

Posted On: 31 MAR 2017 7:13PM by PIB Delhi

लघु बचत योजनाओं को आकर्षक बनाये रखा जायेगा ताकि उनमें से कुछ आय कर लाभ तथा अतिरिक्त ब्याज दर के फायदे लेते रहें

दरों में संशोधन वित्तीय क्षेत्र में केंद्र सरकार के अंशशोधित सुधार की प्रक्रिया का प्रतिबिंब है ताकि लोगों को बेहतर ब्याज दर मिल सके

केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही के लिए कई लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की संशोधित दरों की घोषणा की है। ऐसी दरों को बाजार दर के करीब लाने के लिए, सरकार ने सभी योजनाओं डाकघर जमा खातों को छोड़कर के ब्याज दरों में 0.1 प्रतिशत अंक (10 आधार अंक) की कटौती करने का निर्णय लिया है।

सरकार छोटे बचतकर्ताओं के हितों का विशेष ध्यान रखते हुए, मुख्यतः लड़कियों के लाभ के लिए बचत, वरिष्ठ नागरिकों और नियमित बचतकर्ताओं, जो बचत की रीढ़ हैं, को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वर्तमान में दरों में संशोधन वित्तीय क्षेत्र में केंद्र सरकार के अंशशोधित सुधार की प्रक्रिया का प्रतिबिंब है ताकि लोगों को बेहतर ब्याज दर मिल सके।

कई लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 प्रतिशत अंक की सीमांत कमी के बाद भी ऐसी परिवक्ता और अवधि के दौरान बैंक जमाओं की तुलना में बहुत ही आकर्षक होंगी। बैंक जमा योजनाओं की तुलना में उच्च ब्याज दरों की पेशकश के अलावा कुछ लघु बचत योजनाओं से आयकर में भी लाभ मिलता है। इसके अलावा, लघु बचत योजनाएं जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए), पीपीएफ, 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), 5 वर्षों के लिए मासिक आय योजना (एमआईएस), 5 वर्षों के लिए जमा योजना (टीडी) पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है। यह अतिरिक्त ब्याज दर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के मामले में 100 आधार अंक, सुकन्या समृद्धि खाते में 75 आधार अंक और पीपीएफ, 5 वर्ष के एनएससी, 5 वर्ष के एमआईएस और 5 वर्ष के टीडी में 25 आधार अंक है।

\*\*\*

वीके/पीकेपी-885

